

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प.10(14) आयु./2010

विज्ञापन संख्या 02/2013

दिनांक : 01.06.2013

यूनानी चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापित

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन यूनानी चिकित्साधिकारियों के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.dsrrau.org पर दिनांक 10.06.2013 प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा संवर्ग			विशेष पिछड़ा संवर्ग			निःशक्तजन
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	यूनानी चिकित्साधिकारी	308	104	44	148	38	15	53	31	13	44	43	18	61	2	-	2	9

नोट :- उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों का पूर्व का बैकलॉग सम्मिलित है।

आवेदन शुल्क :- सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग किमीलेयर के अभ्यर्थियों के लिये रु.2,500/- (अक्षरे रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र)। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए रु 1,250/- (अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ पचास मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)। परीक्षा शुल्क वेबसाइट पर उपलब्ध चालान के द्वारा भारत की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में NEFT (National Electronic Fund Transfar) के माध्यम से नकद, चैक या नेट बैंकिंग की सुविधा से विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराया जा सकता है।

आरक्षण :- विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

पद का वेतनमान 15600-39100 (पी.बी. -3) ग्रेड पे 5400 (15) चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोवेशनकाल में 16,800/-रु. नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 1 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि। अभ्यर्थी को भारत सरकार के Central Council of Indian Medicine द्वारा प्राधिकृत स्टेट इंडियन मेडिसिन बोर्ड/काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। (चयनोपरांत Board of Indian Medicine Rajasthan, Jaipur में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है)। देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयु :- आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी, 2014 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आयु सीमा में छूट सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

आवेदन की अन्तिम तिथि :- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। विभाग द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

चयन का आधार :- राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु /2012 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार, एन.आर.एच. एम., मुख्यमंत्री बी.पी.एल. योजना के तहत यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों के दिये जायेंगे तथा 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा।

भर्ती से सम्बन्धित शेष दिशानिर्देश एवं शर्तें डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.dsrrau.org पर दिनांक 03.06.2013 (सायं 5.00 बजे) से उपलब्ध होंगे।

Helpline No.: 0291-5153732, 5153733

Helpline ID : help13@dsrrau.org

(शैलेन्द्र श्रीमाली)

संयुक्त शासन सचिव

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प.10(14) आयु./2010

विज्ञापन संख्या 01/2013

दिनांक : 01.06.2013

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापित

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.dsrrau.org पर दिनांक 10.06.2013 प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा संवर्ग			विशेष पिछड़ा संवर्ग			निःशक्तजन
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	1545	533	228	761	182	78	260	133	57	190	224	95	319	11	4	15	46

नोट :- उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों का पूर्व का बैकलॉग सम्मिलित है।

आवेदन शुल्क :- सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग किमीलेयर के अभ्यर्थियों के लिये रु.2,500/- (अक्षरे रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र)। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए रु 1,250/- (अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ पचास मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)। परीक्षा शुल्क वेबसाइट पर उपलब्ध चालान के द्वारा भारत की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में NEFT (National Electronic Fund Transfar) के माध्यम से नकद, बैंक या नेट बैंकिंग की सुविधा से विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराया जा सकता है।

आरक्षण :- विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा। पद का वेतनमान 15600-39100 (पी.बी. -3) ग्रेड पे 5400 (15) चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोवेशनकाल में 16,800/-रु. नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 1 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि। अभ्यर्थी को भारत सरकार के Central Council of Indian Medicine द्वारा प्राधिकृत स्टेट इंडियन मेडिसिन बोर्ड/कार्डसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। (चयनोपरांत Board of Indian Medicine Rajasthan, Jaipur में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है)। देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयु :- आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी, 2014 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आयु सीमा में छूट सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

आवेदन की अन्तिम तिथि :- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। विभाग द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

चयन का आधार :- राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु./2012 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार, एन.आर.एच. एम., मुख्यमंत्री बी.पी.एल. योजना के तहत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनास अंकों के दिये जावेंगे तथा 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा।

भर्ती से सम्बन्धित शेष दिशानिर्देश एवं शर्तें डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.dsrrau.org पर दिनांक 03.06.2013 (सायं 5.00 बजे) से उपलब्ध होंगे।

Helpline No.: 0291-5153732, 5153733

Helpline ID : help13@dsrrau.org

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प.10(14) आयु/2010

विज्ञापन संख्या 03/2013

दिनांक : 01.06.2013

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापित

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट www.dsrrau.org पर दिनांक 10.06.2013 प्रातः 10.00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा संवर्ग			विशेष पिछड़ा संवर्ग			निःशक्तजन
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	242	87	36	123	27	11	38	21	8	29	35	15	50	2	-	2	7

नोट :- उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

आवेदन शुल्क :- सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग किमीलेयर के अभ्यर्थियों के लिये रु.2,500/- (अक्षरे रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र)। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए रु 1,250/- (अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ पचास मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)। परीक्षा शुल्क वेबसाईट पर उपलब्ध चालान के द्वारा भारत की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में NEFT (National Electronic Fund Transfar) के माध्यम से नकद, चैक या नेट बैंकिंग की सुविधा से विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराया जा सकता है।

आरक्षण :- विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

पद का वेतनमान 15600-39100 (पी.बी. -3) ग्रेड पे 5400 (15) चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में 16,800/-रु. नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 1 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यता :- भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातक उपाधि। अभ्यर्थी को भारत सरकार के Central Council of Homoeopathy द्वारा प्राधिकृत स्टेट होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड/काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। (चयनोपरांत Homoeopathy Medicine Board Rajasthan, Jaipur में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयु :- आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी, 2014 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आयु सीमा में छूट सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

आवेदन की अन्तिम तिथि - ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। विभाग द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

चयन का आधार :- राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.10(11) आयु /2012 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार, एन.आर.एच. एम., मुख्यमंत्री बी.पी.एल. योजना के तहत होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनास अंकों के दिये जावेंगे तथा 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा।

भर्ती से सम्बन्धित शेष दिशानिर्देश एवं शर्तें डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट www.dsrrau.org पर दिनांक 03.06.2013 (सायं 5.00 बजे) से उपलब्ध होंगे।

Helpline No.: 0291-5153732, 5153733

Helpline ID : help13@dsrrau.org

(शैलेन्द्र श्रीमाली)

संयुक्त शासन सचिव